

**दिल्ली के कालकाजी में 16 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या, स्कूल से लौटते समय हुआ हमला**

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक 16 वर्षीय स्कूल छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज हत्या की खबरों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार छात्र स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उस पर चाकू से हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर खुद डीसीपी साठव ईस्ट हेमंत विहारी भी पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail: saksham.bharat@hotmail.com

Member: CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 248 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 21 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रुपये ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail: rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गौता भारती ग्रवन को-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

## ‘बच्चों का गुस्सा संभालिए वरना बहुत भारी पड़ेगा’, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज पर बरसे अरविंद केजरीवाल



नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी तकतों का इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह इस समय पंजाब में हैं, लेकिन दिल्ली में छात्रों के साथ जो हो रहा है, वह बेहद गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें संसद जाने से रोका जा रहा है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। केजरीवाल ने कहा कि पहले पेपर लीक हो जाते हैं और फिर मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब छात्र न्याय की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा, ‘मोदी जी, बच्चों के गुस्से को संभालिए, वरना यह आपको बहुत भारी पड़ेगा। छात्रों के साथ बैठकर बातचीत करिए। आखिर बात क्यों नहीं करते, इतना नया अहंकार है?’ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है और वह उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं। मान ने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

## आपदा के समय एजेंसियों के बीच अब अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम नहीं चलेगा, उपराज्यपाल का स्पष्ट संदेश

नई दिल्ली। आपदा के समय दिल्ली की एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर अब किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संघु ने यह स्पष्ट संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में सभी विभाग पूरी तालमेल के साथ काम करेंगे और जिम्मेदारी को लेकर कोई भ्रम या टालमटोल नहीं रहेगा। इसे राजधानी के आपदा प्रबंधन तंत्र में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का संकेत माना जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्रियों, मुख्य सचिव और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों भी मौजूद रहे। एलजी ने जलभराव वाले चिन्हित स्थलों पर तत्काल क्षमता बढ़ाने, एसडीआरएफ को और मजबूत करने, मोबाइल हेवी ड्यूटी पंप हर समय तैयार रखने व दिल्ली, यमुना और बाढ़ प्रबंधन को लेकर एनसीआर के पड़ोसी राज्यों के साथ भी बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं।

**जवाबदेही तय करने की तैयारी**

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही रहा कि बारिश और बाढ़ जैसी आपात स्थिति में किसी विभाग को



अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की छूट नहीं दी जाएगी। दिल्ली में हर मानसून के दौरान एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीएसआईआईडीसी, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। एलजी ने सभी विभागों को एकीकृत कमान के तहत समन्वय के साथ काम करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

**जलभराव वाले इलाकों पर विशेष फोकस**

एलजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर जलभराव की आशंका बनी रहती है, वहां तुरंत

अतिरिक्त पंपिंग क्षमता और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। मोबाइल हेवी ड्यूटी पंप हर समय चालू हलत में रहें ताकि जरूरत पड़ते ही उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा सके। साथ ही जमीनी हल्लात और नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों की रियल टाइम निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए।

**एसडीआरएफ को और मजबूत किया जाएगा**

बैठक में दिल्ली राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बचाव उपकरण, संसाधन और तुरंत और तेज प्रतिक्रिया व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं,

ताकि भारी बारिश या बाढ़ जैसी स्थिति में रहत कार्य बिना देरी शुरू हो सके।

**एनसीआर राज्यों के साथ बनेगा साझा तंत्र**

यमुना के जलस्तर और बाढ़ की चुनौती को देखते हुए एलजी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य एनसीआर राज्यों के साथ बेहतर समन्वय विकसित करने के लिए कहा है। उनका कहना था कि बाढ़ और जलभराव जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतरराज्यीय समन्वय बेहद जरूरी है।

**सरकार का दावा, घंटे जलभराव के हॉटस्पॉट**

बैठक में अधिकारियों ने एलजी को बताया कि राजधानी में चिन्हित जलभराव वाले स्थलों की संख्या लगातार कम हुई है। साल 2024 में ऐसे 194 स्थान थे, जो 2025 में घटकर 169 रह गए थे और अब 2026 में केवल 34 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सरकार ने इसे बेहतर योजना, विभिन्न एजेंसियों के समन्वय और लगातार निगरानी का परिणाम बताया। हालांकि अब अस्सी परीक्षा मानसून के चरम दौर में होगी, जब यह स्पष्ट होगा कि यह तैयारी जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है।

## पीएम मोदी पर भड़की कांग्रेस, कहा- फिर से मानसून सत्र की शुरुआत घिसी-पिटी बातों की



नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत एक बार फिर अपनी ‘घिसी-पिटी बातों’ से की और राम मंदिर में ‘चंदा चोरी’, नोट-यूजी प्रश्नपत्र लोक तथा विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख तक नहीं किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा लोकतंत्र और संविधान के संघीय ढांचे को कमजोर करने के जारी प्रयासों का भी जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के मानसून सत्र से पहले संवाददाताओं

को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि यदि सदन में चर्चा तक और तथ्यों के आधार पर होगी तो न तो हंगामे की जरूरत पड़ेगी और न ही ऊंची आवाज में बोलने की आवश्यकता होगी। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत पर पड़े प्रभाव और देश के तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष क्षेत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए रमेश ने कहा कि मोदी ने मानसून सत्र की शुरुआत ‘अपनी घिसी-पिटी बातों’ से की। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री जिन मुद्दों का उल्लेख करने में विफल रहे, उन्हें विपक्ष

उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर में आरएसएस-भाजपा तंत्र के सदस्यों द्वारा की गई भारी ‘चंदा चोरी, आस्था के साथ धोखा’ है, जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। नोट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लोक और सीबीएसई 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की विफलता भी मुद्दा है।’ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों और वित्तीय प्रलोभनों का भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय तथा अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के आरोपों का भी उल्लेख किया। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र और संविधान के संघीय ढांचे को कमजोर करने के सरकार के जारी उन प्रयासों का भी जिक्र नहीं किया, जिनमें ‘समझौता वाली परिसीमन की प्रक्रिया’, एक राष्ट्र-एक चुनाव का दिखावा और असंवैधानिक ‘विकास भारत शिक्षा अधिरक्षक विधेयक’ शामिल हैं।

## हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन, आगे भी होगी सियासी जंग

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के सदस्यों के विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा आने के बाद, 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने हथकंडा-न 2026 पेपर लोक और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में डोनेशन के गबन के आरोपों पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और यह 21 जुलाई को सुबह 11:00 बजे फिर से शुरू होगी। लोकसभा की कार्यवाही भी अगले दिन सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और उम्मीद है कि इसमें राजनीतिक रूप से गरमा-गरम बहसें होंगी, खासकर आने वाले राज्य चुनावों के महेंजर। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, विपक्ष के नारों के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया। इस विधेयक का मकसद ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या)



अधिनियम, 1956’ में और संशोधन करना है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है, जो पहले जारी किए गए एक अध्यादेश की जगह लेगा। लोकसभा में सोमवार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। राज्यसभा में सरकार ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971’ में संशोधन करना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे

मातरम्’ में किसी भी तरह की बाधा डालने या उसका अपमान करने को अपराध माना जाएगा। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान हथकंडा-न 2026 पेपर लोक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित हेराफेरी और अन्य मुद्दों पर बहस करने की कोशिश करेगा। राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को उच्च सदन के नौ नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। जिन सदस्यों ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली वे गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन शपथ लेने वाले सदस्यों में गुजरात से भाजपा के मुकेशभाई जे. राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़, मध्यप्रदेश से भाजपा के महेश केवट, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पांगसांग कोंगकल संगमा, मिजोरम से खियांगटे लाललुआंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चिक बड़इक, सुमित्रा देव और सुखेंद्र शेखर राय शामिल हैं।

## देवगना कलीता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दस्तावेज देखने की इजाजत पर क्यों लगी रोक?

नई दिल्ली। दिल्ली के वर्ष 2020 के दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें आरोपी देवगना कलीता को उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी, जिन पर अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों के समर्थन में भरोसा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर देवगना कलीता को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि आरोप तय होने से पहले किसी आरोपी को ऐसे दस्तावेज देखने का अधिकार नहीं है, जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा ही नहीं किया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान ट्रायल में हो रही देर पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इसी तरह बहस चलती रही तो दस साल

में भी दलीलें पूरी नहीं होंगी और फिर मुकदमे में देरी की शिकायत की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले में आगे की सुनवाई तय की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच जून को अपना अंतिम आदेश हटाते हुए ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने पर अंतिम आदेश पारित करने की अनुमति दे दी थी। इसी फैसले में अदालत ने देवगना कलीता की एक अलग याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की इजाजत दी थी, जिनका इस्तेमाल अभियोजन पक्ष अपने आरोपों के समर्थन में नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है, चाहे मामला आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए से जुड़ा ही क्यों न हो। देवगना कलीता ने वर्ष 2023 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के



दौरान दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी। उनका दावा था कि उन वीडियो से यह साबित होगा कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थीं। इसके अलावा उन्होंने एक व्हाट्सएप समूह की पूरी चैट भी मांगी थी। उनका आरोप था कि उनके खिलाफ केवल चुनिंदा संदेशों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पूरी बातचीत सामने आने से सच्चाई स्पष्ट हो सकती है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपपत्र में जिन सबूतों का सहारा लिया गया है, वे

सभी पहले ही देवगना कलीता को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसमें उनके मामले से जुड़े दंगों के वीडियो भी शामिल हैं। पुलिस का यह भी कहना था कि जिन व्हाट्सएप समूहों या पुलिस अधिकारियों के संचार रिकॉर्ड का अभियोजन पक्ष इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनमें संवेदनशील और विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी हो सकती है। इसलिह उन्हें साझा नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने भी माना था कि पुलिस अधिकारियों के

ऐसे व्हाट्सएप चैट उपलब्ध कराना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन अन्य दस्तावेजों का उपयोग अभियोजन नहीं कर रहा, उनकी सूची और निरीक्षण का अधिकार आरोपी को दिया जा सकता है। कुछ सीसीटीवी फुटेज को लेकर अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा था कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कुछ आरोपी अब भी फरार हैं। ऐसे में सभी फुटेज उपलब्ध कराना जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है और आरोपी को गैर-भरोसे वाले साक्ष्यों का निरीक्षण करने की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि देवगना कलीता निरीक्षण की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न करें, क्योंकि इससे मुकदमे में और देरी होगी, जो न अभियोजन के हित में है और न ही आरोपी के। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा दी गई निरीक्षण की अनुमति

प्रभावी नहीं रहेगी। अब यह तय होगा कि आरोप तय होने से पहले किसी आरोपी को अभियोजन की ओर से इस्तेमाल नहीं किए गए दस्तावेज देखने का अधिकार है या नहीं। इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट आगे विस्तृत सुनवाई करेगा। फिलहाल मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगने से ट्रायल की आगे की प्रक्रिया पर भी इस फैसले का असर पड़ेगा। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के आरोपों का है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में छत्र कार्यकर्ता देवगना कलीता, नताशा नरवाल, उमर खालिद, शरजील इमाम, जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी की सदस्य सफुरा जरांग, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ अलग-अलग प्रार्थमिकी दर्ज की गई है। सभी पर विभिन्न धाराओं के साथ यूएपीए के तहत भी कार्रवाई की गई है।

## संसद सत्र में महिला आरक्षण

आज से संसद का सत्रण (मानसून) सत्र शुरू हो रहा है और देशवासियों को अपेक्षा है कि इस छोट्टे से सत्र में उनकी व देश की बड़ी समस्याओं पर उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि गंभीर चर्चा करके सर्वमन्य ङल पर पहुंचेंगे। हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने बहुत गहन अध्ययन करके आजाद भारत के लिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का न्ययन 20वीं सदी कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए इसलिए किया था जिससे गणतान्त्रिक भारत में आम आदमी की रबीषी भागीदारी सत्ता में इस प्रकार हो सके कि उसकी आवाज हर ङलता में सत्ता की कुर्सी संपाले लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए संसदीय प्रणाली में सत्ता व प्रविष्य के लोगों की शासन क्यनने में बराबर की भागीदारी मानी जाती है क्योंकि दोनों ही एषों का चुनाव आम मतदाता अपने खोट के माध्यम से करता है और दोनों ही षष जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं। बेवक प्रत्यक्ष चुने हुए सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या विभिन्न दलों के गठबन्धन के बहुमत का शासन होता है मगर विपक्षी आसन पर बैठे प्रतिनिधियों की भी सत्ता षष के हर निर्णय में दखल देने का सचरार का अधिकार होता है जिसकी वजह से सरकार के हर विधेयक पर संसद में खुल कर बहस होती है जिससे उसमें विषय की आवाज भी शामिल हो सके। मगर हम पिछले तीन दशकों से देख रहे हैं कि सरकारी विधेयक संसद में बहुमत के आधार पर भारी शोर-शराबे के बीच पारित हो रहे हैं। मोदी सरकार से पहले मनमोहन सरकार के दौरान भी बहुत नै विधेयक शोर-शराबे में पारित होते रहे जिससे लोकसभा को प्रामाणिकता पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। लोकतन्त्र में यह बहुत गंभीर मसला है जिस तरफ हर राजनीतिक दल को ध्यान देना होगा क्योंकि अब संसद का सत्र सत्त भर में केवल 50 दिनों तक सिमटता जा रहा है। कहां तो इस आजादी के बाद 150 दिनों का लख्य लेकर चले थे और कहां यह बाद में 100 दिनों के लख्य से भी नीचे घिरेक कर केवल 50 या 55 दिनों तक आ गया है। इससे जनता के मन में आशंकाएं अपने नज्वातिनिधियों के प्रति नकारात्मक रूप में न्यय लेती है और पूरी प्रणाली को तरफ उठाऊ भाव पैदा करती है। अतः इस 21वीं सदी के प्रारम्भ में तत्कालीन राष्ट्रपति स्व. के.आर. नारायणन का यह कथन याद रखा जाना चाहिए कि 'लोकतन्त्र ने हमें नहीं बल्कि हमने लोकतन्त्र को फेल किया है'। यह बताता है कि किस प्रकार हमने उस संसदीय प्रणाली को ह्रास्यमयद बना दिया है जिसका भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहा जाता है परन्तु हमें निराश होने की जरूरत थी नहीं है क्योंकि पिछले 78 वर्षों में कई ऐसे अवसर आये हैं जब इसी संसद में बैठे हुए प्रतिनिधियों ने वक्त को नज़कत को देखते हुए जनता की अपेक्षाओं पर छरा डरने की कोशिश की है। मेरा दुःखत है कि आज भी संसद में मौजूद ऐसे लोगों की कमी नहीं है। चाहे वह नेहरू-इंदिरा काल के महाविद्वान स्व. हरिन मुखर्जी से लेकर डॉ. रणभा प्रसाद मुखर्जी तक जैसे नेता हो या एस.एस. द्विवेदी से लेकर डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे नेता हो या स्व. प्रणव मुखर्जी से लेकर अरुण जेतली और शरद यादव तक जैसे नज्वातिनिधि हो सभी ने सत्ता या विषय में रहते हुए भारत के आम आदमी की निज़ासाओं और भावनाओं का सम्योचित प्रतिनिधित्व किया और दुनिया में भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान बढ़ाया। इस मिलमिले में मुझे 2008 का भारत रत्न स्व. प्रणव मुखर्जी का विदेश मन्त्री की हैसियत से भारत-अमेरिकी परमाणु करार पर दिया गया वह वक्तव्य याद आ रहा है जब उन्होंने इस मुद्दे पर धानया व कम्पुनियिटों के विरोध को देखते हुए लोकसभा में कहा था कि 'हमें खुद पर विश्वास लेना चाहिए। जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है। हम जो भी कर रहे हैं वह देश की आने वाली पीढ़ियों के उन्नतवंत भविष्य को देखते हुए कर रहे हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखते हुए देश हित में हम यह करार कर रहे हैं'। वर्तमान में लगभग ऐसी ही परिस्थियाँ 131वें सचिधान संशोधन विधेयक को लेकर देश में बन चुके हैं। इस विधेयक से देश में लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के परिमोमन का रास्ता खुलेगा जिससे महिला आरक्षण के लिए प्खान बनेगा। वैसे संविधान के अनुसार हर दस वर्ष बाद जनगणना के बाद विधानसभा व लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता चाहिए परन्तु परिसीमन के मुद्दे को पिछली इंदिरा सरकार के बाद नहीं देकर सरकारों के कार्यकालों के ती अगले 25 वर्षों के लिए ढाला गया है परन्तु अब महिला आरक्षण पर देश के सभी राजनीतिक दलों में मतैव्य कायम हो जाने के बाद इस मुद्दे को आगे के लिए ढालना उचित नहीं होगा। नरा संनिये कि 1996 से यह मामला लटका आ रहा है जो कि 2010 में जाकर आभा-अधुरा रह गया क्योंकि उस समय मनमोहन सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को गज्यसभा में विषधी पांटियों धानया व कम्पुनियिटों की मदद से इसे दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया था मगर यह विधेयक लोकसभा में नहीं आ सका। 2014 में केन्द्र में मोदी सरकार गठित होने के बावजूद यह विधेयक संसद में नहीं लाया गया मगर अपने दूसरे कार्यकाल में श्री नरेन्द्र मोदी 2023 में इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करपे में कामयाब हो गये लेकिन इसकी शर्त यह थी कि पहले जनगणना होगी उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होगा और तब जाकर महिला प्रत्याशियों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होगा। इस काम में कम से कम दस वर्षों का समय लगता अतः मोदी सरकार ने सोचा कि 2011 की जनगणना के आधार पर महिला सीटों का आरक्षण लोकसभा में कुल 50 प्रतिशत सीटें बढ़ कर किया जाये जिसके लिए नये महिला आरक्षण विधेयक की जरूरत होगी और यह संविधान संशोधन विधेयक होगा। अतः केन्द्र की भाजपा सरकार संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत न्यटाने का नुगाड़ कर रही है। इस क्रम में कई विषधी दल टूट रहे हैं और कई दल विषधी गठबन्धन के साथ नये समीकरण इस प्रकार बेटा छे हैं कि मतदान के समय ये विधेयक के षष में खड़े नजर आयें।

# हितैषी नीतियों से शाहजहाँपुर में समृद्धि की ओर बढ़ते गात्र किसान

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में गत्रा फसल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि और तकनीक-आधारित व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप आज गत्रा उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समयबद्ध रूप से प्राप्त हो रहा है। शाहनज़ापुर जनपद में गत्रा विकास, तकनीकी आधुनिकीकरण और मूल्य भुगतान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय प्रगति दर्न की गई है। इस सफ़रता से जहां एक ओर कृषकों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, वहीं दूसरी ओर पूरे जनपद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई और सक्रियताक गति मिली है। शाहनज़ापुर जनपद में गत्रे की खेती का दायरा अत्यंत व्यापक है और वर्तमान में यहाँ लगभग 1,03,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गत्रे का आच्छादन है। गत्रा विकास विभाग द्वारा रोजना, निगोरी, पुर्चार्षी एवं तिलहर स्थित चार गत्रा विकास परियरों के माध्यम से प्रदेश सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद में संचालित सरकारी गत्रा विकास समिति रोजना एवं पुर्चार्षी तथा चीनी मिल समिति तिलहर के माध्यम से

लगभग 1.96 लाख गत्रा आपूर्तिकर्ता कृषक सदस्यों को ख़द, बीज एवं अन्य कृषि निवेश समर्थन से उपलब्ध करार जा रहे हैं, जिससे कृषि कार्य सुगम और लागत-प्रभावी हुआ है। जनपद में वर्तमान में कुल पाँच चीनी मिलें पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही हैं, जिनमें तिलहर एवं पुर्चार्षी सहकारी क्षेत्र की तथा निगोरी, रोजना एवं कमसुदापुर निनी क्षेत्र की चीनी मिलें शामिल हैं। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के सतत मार्गदर्शन व समन्वय से ये सभी चीनी मिलें गत्रा किसानों के आर्थिक सशक्तकरण का प्रमुख केंद्र बन चुकी हैं। जनपद में गत्रा खरीद में लेकर तिल और मूल्य भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी और सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे किसानों का मिलों के प्रति विश्वास और भी अधिक गहरा हुआ है। पराई सत्र 2025-26 के दौरान शाहनज़ापुर जनपद की चीनी मिलों पर कुल 1029.11 करोड़ रुपये का गत्रा मूल्य देय हुआ, जिसके सापेक्ष अब तक 923.60 करोड़ रुपये का भुगतान सभी कृषकों के बैंक खातों में किया जा चुका है। यह रिकॉर्ड राशि कुल देय गत्रा मूल्य का 89.75 प्रतिशत है, जो जनपद में भुगतान व्यवस्था की उत्कृष्टता को

प्रमाणित करती है। विशेष रूप से जनपद की निगोरी, रोजना, तिलहर एवं पुर्चार्षी चीनी मिलों द्वारा कृषकों के शत-प्रतिशत गत्रा मूल्य का भुगतान पूरा कर दिया गया है। यह उपलब्धि प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति और जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गत्रा मूल्य भुगतान में हुई इस ऐतिहासिक तेजी का मुख्य श्रेय प्रदेश सरकार द्वारा सख्ती से लागू की गई श्पुक्तो अकाउंटेंशु व्यवस्था को जाता है। इस नवोन और पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा चीनी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का एक निश्चित हिस्सा केवल और केवल गत्रा मूल्य भुगतान के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इस खाते से डीबोटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की जाती है, जिससे गम्यस्थता पूरी तरह समाप्त हो गई है। इसके साथ ही, किसानों की बढ़ती उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा समग्र-समय पर राज्य परामर्शित मूल्य (एसएमपी) में की गई लाभकारी वृद्धि से कृषकों की आय में नितर और स्थायी इजाजत हुआ है। गत्रा आपूर्ति और विपणन व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी और बिजोलिया-मुक्त बनाने के लिए

प्रदेश सरकार द्वारा 'स्माट गत्रा किसान' परियोजना के तहत 'ई-गत्रा ऐप' और ऑनलाइन वेब पोर्टल की मुविषा शुरु की गई है। इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से शाहनज़ापुर के लाखों किसानों को उनके मोबाइल फोन पर ही गत्रा सवैक्षण, सहा, बेसिक कोटा, पत्नी निर्णय और तैल से संबंधित समस्त जानकारीयां रीयल-टाइम में प्राप्त हो रहें हैं। जिला प्रशासन के समर्पित प्रयासों से पत्नी निर्णय को पूर्णतः स्वचालित और पत्र्यात-रहित बना दिया गया है, जिससे गत्रा भागीदारी पर पूर्ण अंकुश लगा है और वास्तविक कृषकों को अपनी उपज मिलो तक पहुंचाने में अपूर्वपूर्व सरलता मिली है। गत्रा किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए गत्रे को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश में लागू की गई व्यापक एषेनीली नीति के तहत गत्रे के रस और खीरे से हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इस दूरदर्शी नीति से चीनी मिलों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है और वे किसानों के मूल्य का भुगतान बिना किसी विलंब के करने में सक्षम हुई हैं। साथ ही,

प्रदेश भर में पुरानी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और पराई क्षमता में वित्तर से किसानों के खेतों में खड़े गत्रे की समय से पराई सुनिश्चित हुई है। कृषि क्षेत्र में लागत कम करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं कृषि विकास योजनाओं के माध्यम से किसानों की विभिन्न आधुनिक यंत्रोकरण सुविधाएं अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसानों को ट्रॅन लाइटर, ट्रॅन मैनेजमेंट डिवाइस और आधुनिक बुआई यंत्रों पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन और रोगों के प्रभाव से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, रोग प्रकने वाली एवं रोग-रोधी गत्रे की उन्नत किस्मों के बीज निःशुल्क योग्यता रियायतों दरों पर वितरित किए जा रहे हैं। नत्त संरक्षण और बेहतर उत्पादकता के लिए ट्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाने वाले कृषकों को विशेष वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। गत्रा उत्पादक किसानों की स्थायीय स्तर पर विपणन के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने और रोजगार सृजन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खाईसारी एवं पुड़ उद्योग

को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। नई ऑनलाइन खाईसारी लक्ष्यसिग नीति के तहत वितरित एवं पारदर्शी तरीके से लाहमेंस जारी किए जा रहे हैं। इससे शाहनज़ापुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में छोट्टे और मध्यम स्तर के पराम्करण उद्योगों की स्थापना हुई है, जिससे किसानों को अपनी उपज की तत्काल खपत के लिए स्थानीय स्तर पर एक मन्सूत और प्रातिपष्णी वैकल्पिक बाजार प्राप्त हुआ है। शाहनज़ापुर जनपद में गत्रा विकास एवं समयबद्ध मूल्य भुगतान के क्षेत्र में गतिवा बढ़ गमलता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश सरकार की किसान-हितैषी नीतियां और जिला प्रशासन की प्रभावी प्रशासकिक कार्यप्रणाली किसानों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। किसानों की बढ़ी हुई आय से स्थानीय बाजारों में व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिला है, जिससे ग्रामीण सुराहाला का मार्ग प्रसाप्त हुआ है। प्रदेश सरकार का प्रतिबद्धता और कृषकों की अपरिहार्यता और तकनीकी मार्गदर्शन को साथ निरतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

# आयुर्वेदिक दवाओं पर गहन वैज्ञानिक शोध

बीस वर्ष पहले वामपणी नेता वृत्त करत ने बाबा रामदेव के पतंजलि योग संस्थान की औषधियों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। तब ये बहस मीडिया में हुई रही थी। वृत्त करत की मानसिकता जिस पश्चिमी संस्था से प्रभावित रही है उसमें ऐसे विवाद खड़ा करना आम बात थी। आश्चर्य की बात यह है कि आयुर्वेद की विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाले लोग कभी एलोपैथिक दवाइयों के बारे में ऐसे शंकरा प्रदर्शित नहीं करते। जबकि हकीकत यह है कि विश्वसनीयता देशों को छोड़ विकसित देशों में भी बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मायाजाल पर अनेक घोटाले सामने आते रहे हैं, जिन्हें पैसे, मीडिया और सत्ता की सहायता से दबा दिया जाता है। ये अग्रिनी दवा कंपनियाँ हमारे जीवन में कितना जहर घोल रही हैं इस पर कभी कोई बहस नहीं होती। जबकि पुरानी हकीकत है कि 'हर जो चीज जमकती है उसे संभाल नहीं सकते'। खेर ये बात तो पुरानी हो गई। नई बात तो यह है कि बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पश्चिमी जगत को इस चुनौती को बड़ी मजबूती से स्वीकार कर लिया है। अब वे अपने शोध और शक्यीय ग्रंथों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाओं की सीधे बाजार में नहीं उतार रहे। अब उन्होंने हॉलिवूड में हैं, 'पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट' की स्थापना की है। नई दुनिया की अर्थुनिकतम शक्तों से दवाओं को बाजार में लाने से पहले उन पर वैज्ञानिक शोध किए जा रहे हैं। उनकी यह पहल उन लोगों को करार जवाब है जो आयुर्वेदिक दवाओं की वैज्ञानिकता को चुनौती देते आए हैं। पिछले रूपने हरिद्वार यात्रा के दौरान मुझे इस शोध संस्थान को देखने का अवसर मिला। वहाँ के एक वैज्ञानिक ने मुझे पूरे संस्थान का प्रमण करवाया। इस संस्थान में कैमर, डायबिटीज, सूजन, हृदय रोग, रूत के रोग और चर्म रोगों पर विशेष शोध किया जा रहा है। इस संस्थान की

केमिस्ट्री लैब में आयुर्वेदिक दवाओं को 'फहटो केमिस्ट्री' और 'एन्सिलेटिकल केमिस्ट्री' की दृष्टि से परखा जा रहा है। इसी संस्थान के जीव विज्ञान विभाग में आयुर्वेदिक उत्पादनों को उनके स्रोत, औषधियों के पौधे और उनसे निकाले जाने वाले तत्वों को विभिन्न प्रजातियों पर प्रयोग करके उनका गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। संस्थान के महाकोषाग्रेलीनी विभाग में आयुर्वेदिक दवाओं के ह्राकोषाग्रेलीनिकल प्रोफाइल का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। इन दवाओं के बैक्टीरिया या फंगम संबंधित गुण-दोषों को अर्थुनिकतम शक्तों में परखा जा रहा है। इसी तरह संस्थान के नैनो-टेक्नोलॉजी विभाग में दवाओं की मात्रा को भटाने और उनके साइड-इफेक्ट्स को कम करने जैसे विषयों पर भी काम किए जा रहा है। इस शोध की सफलता कैमर जैसी घातक बीमारियों को रोकने में प्रभाव हो सकती है ऐसा यह शोध कर रहे वैज्ञानिकों का विश्वास है। इस तरह के प्रयोगों के लिए आमतौर पर प्रयोगशाला में रखे जाने वाले कागज़ तादद में जीवन-न्तु जैसे सृष्टे, खरगोश, नु और प्यूर्बोपिंग आदि की नियंत्रित वातावरण में रखे गए हैं। जिन पर दवाओं के प्रयोग कर उनके प्रभाव का अनुसंधान किए जा रहे हैं। यह सब भारत सरकार के 'वन एक्म फार्मास्योलॉजिकल' द्वारा स्थापित मानदंडों के अंतर्गत किया जा रहा है। संस्थान के प्रमण के दौरान मैंने अलग-अलग प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों से बहुत सारे ऐसे प्रन किये जो एक आम ज्योति के दिग्गम में उठते हैं। क्योंकि आज देश का महौल ऐसा है कि विज्ञापनों के सहारे तमाम डॉकिमसक पठार्थ और दवाएँ बाजारों में घड़ल्ले से बिक रही हैं। इसीलिए हर जागरूक उपभोक्ता गहन छान-बीन के बाद ही इन उत्पादनों पर भरोसा कर पता है। पतंजलि शोध संस्थान की यह पहल आम उपभोक्ता के विश्वास को सुदृढ़ करेगी। क्योंकि इस प्रक्रिया से गुजरने के

बाद जो दवा उसे प्राप्त होगी उसकी गुणवत्ता पर प्रतर्नचिह्न नहीं लगेंगे। शोध संस्थान के प्रमण के बाद मैंने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। आयुर्वेद की दवाओं के विशय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो गलत जानकारी प्रचारित की जाती है उससे निपटने में इस संस्थान का शोध एक करार लोथिय मिद्ध होगा। इसी चर्चा के दौरान मैंने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को एक सुझाव और दिया। इस सुझाव को पृष्ठभूमि में वो ग्रंथ था, 'आहार शास्त्र' जो मैंने 'पुनर्नियान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट', अहमदाबाद से कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त किया था। इस ग्रंथ में गहन शोध के बाद यह बताया गया है कि भारत के किस प्रांत में, किस मौसम में, किस धातु में और कैसे भोजन पक़ाय जाए जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल हो। इससे रोगी स्वस्थ रूण और बीमारियों से लड़ने की प्रतोरोगे क्षमता भी बढ़ेगी। मेरा सुझाव है कि 'पतंजलि योग संस्थान' ऐसे युवा तैयार करे जो गांव-गांव में घूम कर श्रुतिवर्षों को स्वाभ्यवर्षक पारंपरिक भोजन बनाने की शिक्षा दें। आज मोमो, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा जैसे न जाने कितने उत्पाद हैं जो अब भारत की धामस्थों में प्रवेश कर चुके हैं और सबके स्वास्थ्य का सत्यानाश कर रहे हैं। यहाँ है बजारू सख्ती। पहले अखाद्य पदार्थ खाओ। फिर बीमार पड़ो और फिर भारी प्रखेट अस्पताल में इलाज करवाओ। इस विमण चक्र से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी खानपान और दिनचर्या को बदलें। बाबा रामदेव ने पिछले दो दशकों में दुनिया के कोने-कोने में योग की उपयोगिता को स्थापित किया है। अब यह चुनौती उनके सामने है कि वे हम भारतीयों का खानपान पहले देश के दो व्यापक अधिधान चलाएं। उनके पास मीडिया की, सभ्यता की और आर्थिक शक्ति है कि वे व्यापक नज्दित में इस अमूर्त अधिधान को दिशा दे सकते

## याद है डॉ. अनुसूया सिंह प्रीतलड़ी

कई बार मीडिया व समाजिक-परिवेश से भी एक महत्वपूर्ण चूक हो जाती है। पिछले दिनों वेनेजुएला में एक ऐसे पंजाबी विदुषी एवं लेखिका का निधन हुआ जिसकी एक समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, मगर उसके निधन के बाद भी उसकी वहीं संरंभ में वाद-नी किया गया। उसका कि कोई कारणों से बेहद नसनी था। वह प्रख्यात पंजाबी लेखक गुलबर्ला सिंह प्रीतलड़ी की सबसे छोटी व शायद सखीयक लाइली बेटा थी। उसे हिंदी, पंजाबी, कुरी, अंग्रेजी, फ़्रेंच और कुछ हद तक उर्दू भाषा एवं लिपि पर अधिकार एवं पूरा ज्ञान था। वर्ष 1965 से वह वेनेजुएला के मैरिडा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती रही थी। उसकी अनेक रचनाएं, अंग्रेजी साहित्यिक पत्रिका 'द डीप्ट' और 'द एनकाउंटर' में प्रकाशित भी हुई थी। मगर अपने जीवनकाल में वह प्रायः अपनी उपलब्धियाँ, रचनाओं और निंदगी की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में खामोश रही। एक बार भारत-यात्रा के मध्य उसमें इस खामोशी का कारण पूछा तो उसका जवाब था, मैं किसी 'शर्मिष' का आधार नहीं बनना चाहती। अगर मेरे कुछ संबंध थे तो वे भी निजी थे। वे संधा मेरे जीवन की एक सम्पदा हैं। मुझे अब तक समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें यावर्जनिक क्यों करूँ -वह हरा की शैल्य कुमुदा पौफुसा फ़ेडरेशन यूनिवर्सिटी के पहले वेन (1960) की छात्रा थी, विश्वविद्यालय में उन्हें वेनेजुएला के भीतरी के छात्र राल जोसस एस्टेवेन से प्यार हो गया। 1965 में वह वेनेजुएला से लौटी और जीवनभर वहीं अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती रही, उसके दो बेटे और एक बेटा हैं। वह चार लिपियाँ (संस्कृत, अरबी, फ़ारसिक और लैटिन) बोलूनी बोलना जानती थी, उसे पंजाबी, कुरी, अंग्रेजी और स्पेनिस का बेहतरीय ज्ञान था। वर्ष 2016 में एक फिल्म आई थी, उड़ता पंजाब। पंजाब में पैनी दुसरी की सम्पदा पर आधारित इस फिल्म में कामे बकाल हुआ था। रीसर बेटे ने कहा काट-छोट करो, फिल्म में प्रेस्युमर अनुराण कायण अड़ गए। आधारित फिल्म रिलीज हुई। इसी फिल्म का एक गाना बेहद पॉपुलर हुआ, 'इक कुछो निता नाम मोहब्बत' यह गाना आलिया भट्ट पर फिल्माया गया। नेमा कि आमतौर पर होता है। कई लोगों को ये गाना इसी फिल्म की वजह से याद है लेकिन असल में इसका 'ओरिजनल वर्जन' काफी समय से लोगों का फर्पटीद रह है। इसे लिखा था शिव कुमार बटवालजी ने। शिव कुमार बटवालजी की बड़े कतिनाम पंजाब के लोक साहित्य का अहम हिस्सा रही हैं। प्रीतलड़ी परिवार की है सुकोरत आमद के अनुसार -अनु और शिव प्रीत नगर में मिले थे। तब तक अनु विधवा हो चुकी थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जब अनु ने गुलबर्ला सिंह को बताया कि वो शिव से शादी नहीं कराने चाहती। इस पर उन्होंने सलाह दी कि अनु को पीछे हट जाना चाहिए। कई उसकी करीबी से शिव को गलत संकेत न मिल जाए। उसके बाद अनुसूया गौसकी ज्योती गई और अपने बेमैमेट पालन से मिली, प्रेम हुआ, शादी कर ली। गुलबर्ला सिंह 'प्रीतलड़ी' के बारे में कुछ अलोकिक को शिखरत थे कि 'इसक निजालो हवै पुराण' सपेक्षी कुरी के लेखक गुलबर्ला सिंह का सम्मान नब अपनी हो बेटों की कश्चित प्रेम-कथा से हुआ तो उनका खेया पूरी तरह बदल गया। अनुसूया ने इस संधिष घट में यह भी बताया था कि वह जब भारत आती थीं तो शिव के परिवार से भी मिलती थीं। अधिकारी बार जब देश आई थीं तब भी मिलने गई थीं। पुनम के मुताबिक उन्होंने बताया था कि एक मित्रो का नाम उसने शिव रख छोड़ा है जब तक उसमें बन पड़ा, उन्होंने उस बारे को देखन नहीं छोड़ा। अनुसूया के दो बेटे और एक बेटा हैं। उसके बेटे सुमितो एस्टेवेन ने उन्हे ब्रडॉनलर देते हुए लिखा- 'वे चार भाषाओं में लिख सकती थीं- संस्कृत, अरबी, फ़ारसिक, लैटिन।

# प्रदेश सरकार ने विशेष प्रवर्तन अभियान से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकड़ियों पर कसा शिकंजा

विशेष टीमों ने पूह सेपटी मैनेजमेंट सिस्टम (एएसएमएस) के अनुपालन की भी वित्तुत जांच की। आधुनिक खाद्य उद्योग में केवल अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और मानक अनुसूच होना भी आवश्यक है। इसी कारण उत्पादन, शुद्धिकरण, पैकेजिंग भंडारण और अभिलेखों के रखरखाव तक प्रत्येक चरण का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया। यह अभियान उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। केवल अकार्थक पैकेजिंग देखकर किसी भी ब्रांड का पानी खरीदना पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ताओं को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद पर एएसएमएसआई लाइसेंस संख्या, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच संख्या तथा अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हों। यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत हो या कोई अनियमितता दिखाई दे तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना प्रत्येक जागरूक नागरिक का दायित्व है।

स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है। आज के समय में बढ़ते शहरीकरण, बदलती जीवनशैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। शरीर से लेकर विश्वास्यता, अस्पतालों, कार्यालयों, होटल, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक आयोजनाओं तक बड़े संरक्ष में लोग पैकेज्ड पेयजल पर निर्भर हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि बाजार में उपलब्ध

प्रत्येक पानी की बोतल और चार गुणवत्ता के निर्धारित मानकों पर पूरी तरह खरा उतरें तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों। पेयजल की गुणवत्ता से समझौता किया जाए तो उसके दुष्परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दूषित पानी अनेक नलनजित रोगों का कारण बनता है और जनसंख्या के लिए बड़े चुनौती उत्पन्न करता है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के माध्यम से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकड़ियों के विरुद्ध व्यापक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जनसंख्या के साथ किसी भी प्रकार की खराबवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के सभी मंडलों में अंतर्नैमपद विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया इस अभियान के अंतर्गत मंडलीय सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण दल गठित किए गए, जिनोंने विभिन्न जनपदों में संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकड़ियों का व्यापक एवं वैज्ञानिक निरीक्षण किया। अभियान केवल औपचारिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया, स्वच्छता, गुणवत्ता निगरान, तकनीकी व्यवस्थाओं तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक भुगतान, 2006 तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एएसएमएसआई) के मानकों के अनुपालन का गहन परीक्षण किया गया। विशेष अभियान के दौरान प्रदेशभर में 362 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकड़ियों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही 233 खाद्य नमूने संग्रहित कर गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं में भेजे गए। इन नमूनों की वैज्ञानिक जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाजार में उपलब्ध पेयजल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है या नहीं। यदि परीक्षण में किसी प्रकार की कमी अथवा मिलनवत्त पाई जाती है तो संबंधित इकड़ियों के विरुद्ध

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अनेक निर्माण इकड़ियों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं। 56 निर्माण इकड़ियों को सुधार सूचना जारी करते हुए निर्धारित समय के भीतर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे संचालकों को सुधार का अवसर देना है जो निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने के इच्छुक हैं। वहीं दूसरी ओर गंभीर मामलों में निषण में बिना किसी शिथिलता के कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की। अभियान के दौरान यह भी पाया गया कि 38 निर्माण इकड़ियों के दायन से बंद थीं, जबकि 21 इकड़ियाँ रणपना प्रक्रिया में थीं। इसके अतिरिक्त 38 इकड़ियों द्वारा अपने लाइसेंस सरेख कर दिए गए थे। यह तथा इस बात को भी दर्शाता है कि विभाग केवल अभिलेखों के आधार पर कार्य नहीं कर रहा, बल्कि प्रत्येक इकड़ी को वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित कर रहा है। गुणवत्ता मानकों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में 41 निर्माण इकड़ियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निर्र्वित कर दिए गए। संबंधित इकड़ियाँ निर्धारित मानकों का पालन किए बिना उत्पादन कार्य पुनः प्रारंभ नहीं कर सकेंगी। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि खाद्य सुरक्षा के मामलों में सरकार की नीति पूरी तरह 'जिरी टॉलेरेंस' पर आधारित है। अभियान का एक महत्वपूर्ण षष यह भी रहा कि 57 निर्माण इकड़ियों ने निरीक्षण से बचने के उद्देश्य से अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। विभाग ने ऐसी सभी इकड़ियों पर नोटिस चप्सा कर उई खोल कर दिया तथा स्पष्ट निर्देश जारी किए कि विभागीय निरीक्षण एवं अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन देनाया प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। यह कार्रवाई उन इकड़ियों के लिए भी स्पष्ट संदेश है जो नियमों से बचने का प्रयास करती हैं। निरीक्षण के दौरान 37 निर्माण इकड़ियों में गंभीर कमियाँ पाए जाने पर उनका उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। इन कमियों में

उत्पादन स्थल पर स्वच्छता का अभाव, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में लापरवाही, तकनीकी उपकरणों की अनुपयुक्त स्थिति तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताएं शामिल थीं। ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन जारी रहना खोद्ये तौर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए नोसिमपूर्ण हो सकता था। समग्र कार्रवाई के अंतर्गत विभाग ने 293 फिलोलीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को जन्त (सीज) किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.06 लाख रुपये आंकी गई। निरीक्षण के दौरान निर्माण परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण में स्वच्छ वातावरण सफ़े महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि उत्पादन स्थल पर सामने सफाई के मानकों का पालन नहीं किया गया तो पानी में हानिकारक सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया अथवा अन्य अशुद्धियों के प्रवेश को संभावना बढ़ जाती है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। विशेष टीमों ने पूह सेपटी मैनेजमेंट सिस्टम (एएसएमएस) के अनुपालन की भी वित्तुत जांच की। आधुनिक खाद्य उद्योग में केवल अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और मानक अनुसूच होना भी आवश्यक है। इसी कारण उत्पादन, शुद्धिकरण, पैकेजिंग भंडारण और अभिलेखों के रखरखाव तक प्रत्येक चरण का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया। यह अधिधान उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। केवल अकार्थक पैकेजिंग देखकर किसी भी ब्रांड का पानी खरीदना पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ताओं को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद पर एएसएमएसआई लाइसेंस संख्या, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच संख्या तथा अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हों। यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत हो या कोई अनियमितता दिखाई दे तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना प्रत्येक जागरूक नागरिक का दायित्व है।

# डिजिटल लेबर चौक ऐप से निर्माण श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, जनपद के 2.43 लाख श्रमिक होंगे लाभान्वित

कुशीनगर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार के अवसर सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप" प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल लेबर चौक ऐप निर्माण श्रमिकों, बिल्डरों, ठेकेदारों, निर्माण एजेंसियों एवं अन्य नियोजकों के बीच एक प्रभावी डिजिटल सेतु के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से श्रमिकों को रोजगार की तलाश में लेबर चौकों पर घंटों प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने मोबाइल फोन से अपनी उपलब्धता दर्ज कर अपने कौशल, अनुभव तथा कार्यस्थल से संबंधित जानकारी साझा कर सकेंगे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि जनपद कुशीनगर के लगभग 2.43 लाख निर्माण श्रमिक इस पहल से लाभान्वित होंगे। उन्होंने राजमिस्त्री, बेलदार, बर्छी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर, हेल्पर सहित निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिकों से अपील की कि वे डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। साथ ही बिल्डर, ठेकेदार, निर्माण एजेंसियां, उद्योग प्रतिष्ठान, सरकारी एवं अर्धसरकारी विभाग, स्थानीय निकाय तथा अन्य नियोजकों से भी अनुरोध किया कि वे ऐप पर पंजीकरण कर अपनी श्रमिक आवश्यकता ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से नियोजकों को आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित, अनुभवी एवं पंजीकृत श्रमिक आसानी से उपलब्ध होंगे। वहीं श्रमिक अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। जीपीएस आधारित सुविधा के माध्यम से उन्हें निकटतम रोजगार अवसरों की जानकारी भी प्राप्त होगी। ऐप पर श्रमिक अपना व्यक्तिगत विवरण, पहचान, कौशल, अनुभव, कार्य इतिहास, उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके आधार पर नियोजक उपयुक्त श्रमिकों का चयन कर सीधे संपर्क स्थापित कर सकेंगे, जिससे रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने सभी पात्र श्रमिकों एवं नियोजकों से डिजिटल लेबर चौक ऐप का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यह पहल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी। इसी क्रम आज लेबर चौक, पड़रौना एवं कसया में श्रमिकों को डिजिटल लेबर चौक ऐप के संबंध में जागरूक किया गया तथा उपस्थित श्रमिक अमित सिंह, गणेश एवं सुनील कुमार का ऐप पर पंजीकरण भी कराया गया। इस अवसर पर सहायक लेखाकार संदीप मल्ल एवं वरिष्ठ सहायक रमेश राम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

## नगर पंचायत में खत्म हुआ सियासी गतिरोध, सभासदों के इस्तीफे वापस



नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ वार्ड सभासद निचलौल।

नगर पंचायत निचलौल में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी गतिरोध का सोमवार को पटाक्षेप हो गया। नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सभी सभासद एक मंच पर आए और लंबी चर्चा के बाद आपसी मतभेद भुलाकर विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। बैठक में सभासदों द्वारा दिए गए इस्तीफों को भी सर्वसम्मति से नामंजूर कर दिया गया। बैठक के दौरान सभासदों ने वार्ड की समस्याओं, विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों तथा अपनी विभिन्न चिंताओं को विस्तार से रखा। जिसपर चेयरमैन शिवनाथ मद्देशिया ने सभी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता और आत्मीयता के साथ सुना तथा प्रत्येक सुझाव पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही स्पष्ट किया कि नगर पंचायत का संचालन पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और जनहित की भावना के अनुरूप किया जा रहा है और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य होता रहेगा। विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी प्रकार के मतभेद का समाधान संवाद और आपसी विश्वास से किया जाएगा। सभी सभासदों ने एक स्वर में कहा कि व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार कर नगर के विकास के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना समय की आवश्यकता है। इसी भावना के तहत पहले दिए गए इस्तीफों को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि नगर पंचायत निचलौल में चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं को सभी जनप्रतिनिधियों

महत्वपूर्ण बैठक में समस्याओं पर हुई खुली चर्चा, विकास कार्यों में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करने का लिया गया संकल्प

के सहयोग और सहभागिता से और अधिक गति दी जाएगी। सड़क, नाली, पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था सहित जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बैठक के अंत में अध्यक्ष ने कहा कि नगर पंचायत का प्रत्येक जनप्रतिनिधि एक परिवार का सदस्य है। जनता के विश्वास और सहयोग को सर्वोपरि मानते हुए सभी मिलकर निचलौल को विकास और सुशासन का आदर्श नगर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील मद्देशिया मुन्ना, सभासद महातम यादव, संजय पाण्डेय, मनीष खड़किया, अजीत यादव भोलू, साबिर अली, दशरथ प्रसाद, धीरज विश्वकर्मा, सभासद प्रतिनिधि जय सिंह यादव, अभिषेक सिंह, आबिद अली, महेश मद्देशिया, अनिल कसौधन, अनिल कर्नौजिया आदि मौजूद रहे।

## नेपाल बार्डर क्षेत्र से छह बोरी यूरिया बरामद, तस्कर फरार



महाराजगंज।

भारतीय क्षेत्र से खाद नेपाल में आसानी से पहुंच जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र के अलग अलग रूट से कैरियर आसानी से नेपाल खाद पहुंचा कर मालामाल हो रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की नजर पड़ जाती है तो दबोच लिए जाते हैं। अन्यथा से फलक झपकते ही सरहद पार कर जाते हैं। सोमवार को सोनौली कोतवाली क्षेत्र के दक्षिण टोला नो में से एक बोरी यूरिया बरामद हुई। पुलिस टीम को मौके से आरोपी से नहीं मिला। बरामद यूरिया कस्टम को सौंप दिया गया। खाद कहां से लाई गई है। इसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस टीम को आने की सूचना तस्करों को पहले लग चुकी थी। इस वजह से वे

क्षेत्र में चौकसी तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, सोमवार को पुलिस टीम नेपाल से लगी सीमा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। सोनौली कोतवाली क्षेत्र के दक्षिण टोला के पास नो में से एक बोरी यूरिया नेपाल ले जाने के लिए रखी गई थी। मौके पर आरोपी नहीं मिला। पुलिस टीम से सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त तेज कर दी है। बरामद यूरिया को थाने लाने के बाद औपचारिकता पूरी कर कस्टम को सौंप दिया गया। खाद कहां से लाई गई है। इसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस टीम को आने की सूचना तस्करों को पहले लग चुकी थी। इस वजह से वे

नहीं रुक पा रही खाद की तस्करी, अगल अलग रूट से खाद सरहद पार

खाद छोड़कर मौके पर फरार हो गए थे। खाद की जरूरत नेपाल में बढ़ती है तो तस्कर अपनी गतिविधियां तेज कर देते हैं। कैरियरों के माध्यम से नेपाल में खाद पहुंचाना शुरू कर देते हैं। सूत्रों की माने तो प्रति चक्कर एक कैरियर को 500 से 1000 रुपये मिल जाते हैं। एक साइकिल पर कम से कम तीन बोरी कैरियर ले जाते हैं। यूरिया का रेट भारतीय क्षेत्र में 270 रुपये है। लेकिन नेपाल पहुंचने पर इसका रेट तीन गुना हो जाता है। मांग के अनुसार रेट घटता बढ़ता है। सोनौली, परसामलिक, बरगदवा, ठूरीबारी, निचलौल थाना क्षेत्र के पगड़ियों से तस्कर भारतीय खाद को नेपाल पहुंचा देते हैं। डीएपी की मांग होती है तो भी इन्हीं रास्तों से कैरियर साइकिल व बाइक से सरहद पार करते हैं। सोनौली कोतवाली के उप निरीक्षक अभिषेक जायसवाल ने बताया की बरामद खाद नौतनवा कस्टम को सौंप दिया गया है। सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी की जा रही है।

## 28 को गुजरात में जुटेंगे 22 राज्यों के पत्रकार प्रतिनिधि

कुशीनगर। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के तत्वावधान में अट्ठईस जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में होगा विशाल पत्रकार सम्मेलन जिसमें बहस राज्यों से पत्रकार पत्रकार शिकत करेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति कुशीनगर के जिलाध्यक्ष हृदयानंद शर्मा ने बताया कि आजादी मिलने के इतने दिनों के बाद भी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं बना, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित अभाषसुस ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने को अपना मिशन बना लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कल्लावाडिया के नेतृत्व में दो दर्जन प्रदेशों में सुरक्षा कानून के लिए अपनी आवाज बुलंद दिया। श्री शर्मा ने बताया है कि अट्ठईस जुलाई को राष्ट्रीय अधिवेशन में एक रणनीति बनाई जाएगी और उसी के तहत पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने हेतु शंखनाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह के नेतृत्व में प्रदेश से पंद्रह पत्रकारों की एक टोली गुजरात सम्मेलन में शिकत करेगी।

## गऊ अगर पशु नहीं तो राष्ट्रीय माता घोषित करे सरकार



आनंदनगर, महाराजगंज।

गो रक्षा धर्म यात्रा पर निकले शांकराचार्य स्वामी अविन्मुक्तश्वरानन्द ने फरेन्दा दुर्गा मन्दिर के वैकट हाल में सम्बोधित करते कहा की सनातन धर्म की रक्षा तभी सम्भव जब हम गाय की रक्षा कर सके उन्होंने कहा की 13 वर्ष केन्द्र में 9 वर्ष प्रदेश में भाजपा की सरकार है लेकिन चुनाव के समय आशवासन मिलता है लेकिन वादा से मुकर जाते हैं उन्होंने भाजपा के पहले कार्यकाल की चर्चा करते हुये कहा भाजपा ने कहा था 'नरेन्द्र मोदी को मतदान-गाय को जीवनदान' लेकिन चुनाव बाद वादा से मुकर गये और

शंकराचार्य ने कहा कि भाजपा सरकार में गो रक्षा सम्भव नहीं, गाय को माता मानने व पशु मानने वालों के बीच होगा धर्म युद्ध, कार्यकम में कांग्रेस, सपा नेता रहे मौजूद, भाजपा ने बनाई दूरी

गाय को पशु मानने वाले व गाय को माता मानने वालों के बीच धर्मयुद्ध होगा। शंकराचार्य ने कहा की उनकी यात्रा गैर राजनितिक है सिर्फ व सिर्फ सनातन धर्म व गो रक्षा के लिये है। मंच पर शांकराचार्य का जोरदार स्वागत हुआ कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख राम प्रकाश सिंह, आयोजक राजन तिवारी, त्रिभुवन नारायण मिश्र, विजय सिंह, विद्या सागर यादव ने सम्बोधित कर स्वागत किया इसके आलावा डॉ ओ पी त्रिपाठी, दिलीप चौधरी, देवी शरण दूबे ।, राम शरण गुप्ता, विभूति पाण्डेय, एकेश केशरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

## बमनौली में सड़क पर गिरा पीपल का पेड़, घंटों बाधित रहा यातायात

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के बमनौली गांव में सोमवार सुबह मुख्य मार्ग पर एक विशाल पीपल का पेड़ गिर जाने से रामकोला-सिंगहा मार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यह घटना रामकोला-सिंगहा मार्ग पर स्थित एसडी पब्लिक स्कूल, बमनौली के समीप हुई। बताया जाता है कि पुराना पीपल का पेड़ अचानक सड़क पर गिर पड़ा, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि उस समय बारिश होने के कारण मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम थी, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने का कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात को धीरे-धीरे सामान्य कराया गया। बीट प्रभारी बी.एन. मौर्य ने बताया कि पेड़ काफी पुराना हो चुका था तथा उसकी जड़ें कमजोर पड़ गई थी। इसी कारण वह अचानक गिर गया। उन्होंने बताया कि पेड़ हटाने के बाद मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से बहाल कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने समय रहते पेड़ हटाने के लिए वन विभाग की टीम की सराहना की तथा पुराने और जर्जर पेड़ों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए  
दिए गए QR कोड को स्कैन करें।